

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- एफ.10(36)आयु./2018 पार्ट-3

जयपुर, दिनांक:- 01.07.2019

--: आदेश :-

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों से निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1.	डॉ. सोनिया तेतरवाल	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष., [PHC] जगतपुरा, जयपुर से राज. होम्यो. औष. [CHC] फागी, जयपुर स्थानान्तरधीन	राज. होम्यो. औष, अग्रवाल फार्म (एस.एफ.एस.) मानसरोवर, जयपुर में डॉ. रविन्द्र कुमार मीणा के स्थान पर
2	डॉ. रविन्द्र कुमार मीणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औष, अग्रवाल फार्म (एस.एफ.एस.) मानसरोवर, जयपुर	राज. होम्यो. औष. [CHC] फागी, जयपुर

नोट:- उक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

आज्ञा से,
एस.डी.
(एच.एम.ढाका)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2018/ 3074-90 दिनांक:- 01.07.2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(36) आयु./2018 पार्ट-3 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
- प्रभारी, [CHC] फागी, जयपुर/[PHC] जगतपुरा, जयपुर।
- प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, [CHC] फागी, जयपुर/[PHC] जगतपुरा, जयपुर/अग्रवाल फार्म (एस.एफ.एस.) मानसरोवर, जयपुर।
- संबन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. सोनिया तेतरवाल/डॉ. रविन्द्र कुमार मीणा को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल कर सूचित करे।
- कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधी शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा सक्सेना)
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक